जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति दिनांक 02.09.2021

थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा पुलिस अभिरक्षा में लूट के अभियुक्त द्वारा लूट की नकदी एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हुई बरामद।

दिनांक 28.05.2021 को वादी विजयन्त उर्फ पिंटू पुत्र जसवीर निवासी ग्राम लिलोन थाना कोतवाली शामली की दिल्ली रोड़ पर स्थित खाद व दवाई की दुकान से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दुकान के गल्ले में रखे 50 हजार रूपये लूट ले जाने की घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दाखिल कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया था। थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया तथा घटना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी घटनास्थल एवं उसके आस-पास से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु थाना प्रभारी कोतवाली शामली को निर्देशित किया था।

इस क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा इस घटना का अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त शुभम उर्फ डीलर पुत्र सुशील निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना झिंझाना जनपद शामली को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लूट की नकदी से 4,000/- रूपये बरामदगी करते हुए जेल भेजा गया था। घटना में शामिल दूसरा अभियुक्त निखिल उर्फ पहाडी पुत्र पुष्पेन्द्र उर्फ लाला निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना झिंझाना जनपद शामली फरार हो गया था, जिसके द्वारा माननीय न्यायालय सी0जे0एम शामली के समक्ष दिनांक 27.08.2021 को आत्मसमर्पण किया था। जिसे मा0 न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया था, जिसके संबंध में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा न्यायालय से उक्त अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लेने के लिए दिनांक 01.09.2021 को प्रत्यावेदन किया गया था। उक्त संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा थाना कोतवाली पुलिस को अभियुक्त निखिल उर्फ पहाडी का आज दिनांक 02.09.2021 को पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड स्वीकृत किया गया, जिसको थाना कोतवाली शामली पुलिस अभिरक्षा में लेकर घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल स्प्लैंडर बिना नम्बर एवं लूट की नकदी 1500/- रूपये बरामद हुए हैं। बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तः-

1- मु0अ0स0 148/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

अभियुक्त की निशादेही पर बरामदगी का विवरणः-

1- लूट की नकदी 1500/- रूपये।

2- घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल बिना नम्बर।

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत हुई केबिल चोरी में लिप्त 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की कोबिल एवं चोरी की मोटरसाईकिल बरामद।

आज दिनांक 02.09.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 चोर को चोरी की केबिल एवं हरियाणा से चुराई हुई मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। बरामद मोटरसाइकिल अभियुक्त द्वारा जनपद यमुनानगर हरियाणा राज्य से चोरी किया जाना बताया गया है।

ज्ञात हो कि दिनांक 09.08.2021 को वादी गुरमीत पुत्र विशन सिंह निवासी ग्राम सुन्दरनगर थाना झिंझाना द्वारा वादी एवं 09 अन्य लोगों के खेत से किसी अज्ञात चोर द्वारा ट्यूबेल से केबिल चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध में तहरीर दाखिल कर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया कराया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. अज्जू उर्फ सलीम पुत्र मासूम अली निवासी मौ0 मीरधान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

1. चोरी की मोटरसाईकिल हीरो होंडा स्प्लेण्डर चेसिस न0 MBLHA10ADA9M09290।
2. चोरी की केबिल 3.5 किग्रा।

अपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. मु0अ0स0 178/13 धारा 379/411 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 244/13 धारा 379/411 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 170/13 धारा 379/411 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0स0 109/14 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
5. मु0अ0स0 001/17 धारा 4/25 आमर्स एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
6. मु0अ0स0 280/20 धारा 379/411 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
7. मु0अ0स0 101/21 धारा 379/411 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
8. मु0अ0स0 127/2021 धारा 379/411/34 भादवि थाना झिझाना जनपद शामली ।
9. मु0अ0स0 713/21 धारा 379 भादवि कोतवाली नगर जिला यमुनानगर हरियाणा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 समयपाल सिहं अत्री थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. हे0का0 रामअवतार सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. का0 सन्दीप कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना कैराना

01 अभियुक्त गिरफ्तार, 10 लीटर कच्ची/अपमिश्रित शराब बरामदः-

आज दिनांक 02.09.2021 को थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त तासिम पुत्र जबरदीन निवासी ग्राम बरनावी थाना कैराना जनपद शामली को 10 लीटर कच्ची/अपमिश्रित शराब के साथ गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है जिसके विरूद्ध थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।